वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भतरौजखान–निगराली–भिकियासैण मोटर मार्ग का विस्तार। (किमी. 16 से 20)(5.00किमी.)

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 2454 / ।।।–2 / 05–7(प्रा0आ0) / दिनांक 28.10.05 द्वारा ₹ 82.56 लाख मात्र के लिए 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। यह मोटर मार्ग ग्राम मझेड़ा, कुम्हार्ती, सौरे व अन्य आस–पास के ग्रामों को जोड़ते हुए भविष्य में तहसील भिकियासौण तक मिलेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गांव की जनता को यातायात की सुविधा एवं ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फल, सब्जी, अनाज इत्यादि को मण्डी तक पहॅुचाने में सीधा लाभ प्राप्त होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विभागीय मानकों के आधार पर सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें कम से कम वन भूमि प्रभावित होती है तथा बिना वन भूमि के मार्ग का निर्माण सम्भव नही है।

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की मांग निम्नानुसार है और इसकी आवश्यकता अत्यन्त औचित्य पूर्ण है।

इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल राज्य भूमि 0.198है0 वन पंचायत 0.765है0 कुल 0.963है0 तथा 3.537है0 नाप भूमि प्रभावित होती है, जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित किये गये है।

कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत